


FORM No. III

APP-A  
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 मोहवा \_\_\_\_\_ बनाम देवी \_\_\_\_\_  
 केस नं. 136/11 सन् \_\_\_\_\_  
 मुकदमा राजारामनाथ \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-6-15	<p>पत्रालय की कोर्ट ऑफिस (सन्तोवपुर) पर फर्द                      वकील, पतिलादी ने उपस्थित हो कर राजारामनाथ                      देश, विवाहाया जिसे में कब्जे अनुसार बतवाडा                      करने पर सहमत है।</p> <p>राजारामनाथ अनुसार आदेश दिया जाता                      है कि, <del>पत्र</del> पत्र की चरचा में शामिल हुए (वीर शेरडा                      के आ. नं 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 73 कुलामित्त                      है हुला शकका 6-01 बिरला का वकील, पतिलादी शर्मा                      के हिस्से में कब्जे अनुसार बतवाडा किया जा                      कर राजाराम शेरडा से दर्ज कर 1-15 की जारी                      है।</p> <p>अतः यह निर्णय हुले <del>पत्र</del> पत्रालय में मुद्राया                      गया।</p> <p>पत्रालय की फर्दल शर्मा है कर 1-15 की जारी                      किया है।</p> <p style="text-align: center;">                       (देवी सिंह)                      पीठासीन अधिकारी                      उपखण्ड अधिकारी एवं                      पदेन सहायक कलक्टर माण्डल                 </p>	